राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3265/2024

डॉ0 सुमित गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा।
3. डॉ. प्रतीमा जायसवाल, प्रमुख, राजकीय मेडिकल कॉलेज, एनाटॉमी विभाग, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2024
आदेश की दिनांक : 29.11.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 30.10.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की है, जिसके तहत निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 डॉ. प्रतिमा जायसवाल को एनाटोमी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही अपीलार्थी ने परिपत्र दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–2) की शर्त संख्या 2 के दूसरे भाग को भी इस आधार पर चुनौती दी है यह परिपत्र के मुख्य प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी वर्तमान में प्रोफेसर के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में वह विभागाध्यक्ष एनाटोमी विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता में अगला उम्मीदवार है। दिनांक 27.05.2024 को जारी वरिष्ठता सूची की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर अंकित है। पूर्व में डॉ. प्रतिमा जायसवाल, जिसका नाम आदेश दिनांक 27.05.2024 में क्रम संख्या 9 पर उल्लेखित किया गया है, जुलाई 2014 से नवंबर 2022 तक

विभागाध्यक्ष रहीं और उसके बाद, डॉ. आरुषि जैन को दिनांक 01.11.2022 को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उनका 02 वर्ष का कार्यकाल 31.10.2024 को पूरा हो गया है और उसके बाद अपीलार्थी जिसका उल्लेख वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 23 पर किया गया है, अगला उम्मीदवार है जो विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र और हकदार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. (श्रीमती) कीर्ति माथुर बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में जबकि विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई लिखित प्रक्रिया और दिशा–निर्देशों का विनियमन नहीं था और ऐसी परिस्थितियों में निर्देश दिए गए थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विभागों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विभाग के 3／4 वरिष्ठतम शिक्षकों के बीच रोटेशन की प्रथा का पालन किया गया है, जिसका चिकित्सा शिक्षा में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पालन किया जाता है, इससे निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुचारू रूप से गुणवत्ता के संदर्भ में पेशेवर आचरण के उच्च मानकों का विकास और रख–रखाव सुनिश्चित हो सकता है। डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1878／2014 में आदेश दिनांक 31.03.2016 को पारित निर्णय दिनांक 31.03.2016 का संबंधित भाग निम्नानुसार हैः–

"Since there is no written procedure/Regulation /guidelines for appointment of HoD, in absence whereof such situation cannot be ruled out that the teacher from medical wing might be senior- most but if he is facing any enquiry u/R.17 or R.16 of CCA Rules or judicial enquiry or his record of service is not satisfactory or upto the mark but still eligible for being appointed as HoD and as we have already observed the HoD is not a cadre post included in the Schedule appended to the Rules, 1962 but still it is higher in hierarchy and as always said higher the post-higher the responsibility. one has to be upright in taking care of the Department and which is possible only if one has a good clinical and managerial skills at his command for being appointed as HoD and if the practice of rotation amongst three/four senior-most Teachers of the Department as being followed by the University of Rajasthan for appointing HoD in the Departments is followed by the respondents in the Medical education it may certainly ensure development and maintenance of high standards of professional conduct in terms of quality in medical education health care and smooth functioning of the department as set forth by the regulatory bodies of the Medical Council of India. Consequently. we find no substance in the appeal. It is accordingly dismissed with the observations made supra. No costs. Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Rajasthan and the Principal Secretary. Department of Medical & Health. Government of Rajasthan for necessary compliance."

माननीय खंडपीठ के निर्णय के पश्चात विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2016 (अनुलग्नक–4) को एक परिपत्र जारी किया गया तथा उसके पश्चात पुनः दिनांक 28.12.2016 (अनुलग्नक–5) को एक परिपत्र जारी किया गया। तत्पश्चात, पिछले परिपत्रों के स्थान पर दिनांक 17.03.2017 (अनुलग्नक–6) द्वारा परिपत्र जारी किया गया। उसके पश्चात दिनांक 21.02.2023 का पुराने परिपत्रों के स्थान पर नया परिपत्र जारी किया। परिपत्र दिनांक 21.02. 2023 की शर्त संख्या–2 नीचे अंकित की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

2 "तत्पश्चात् वरिष्ठता के आधार पर क्रमानुसार वरिष्ठ आचार्य /आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । विभाग में एक ही वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जावेगी।"

परिपत्र की उक्त शर्त संख्या–2 आंशिक रूप से शर्त संख्या–1 से विरोधाभासी होने के आधार पर चुनौती दी जा रही है। शर्त संख्या–1 में वरिष्ठ आचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष बनाने का प्रावधान है, जबकि शर्त संख्या–2 के द्वितीय भाग में वरिष्ठ प्राचार्य को ही विभागाध्यक्ष रखने का प्रावधान है, यदि विभाग में अन्य वरिष्ठ प्राचार्य नहीं है।

परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के अनुसार शर्त संख्या–8 एवं 9 के अन्तर्गत अपीलार्थी को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की पात्रता है, जिसकी शर्त संख्या–8 एवं 9 निम्नांकित हैः–

’’8. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनाक 14.02.2022 "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022 के अनुसार Non Medical Person किसी चिकित्सा संस्थान में डीन/निदेशक/प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

9. उपलब्ध Medical Persons में से ही वरिष्ठता अनुसार विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। वरिष्ठता क्रम में Medical Person की अनुपलब्धता की दशा में पुनः वही क्रम (Cycle of Rotation) दोहराया जाएगा। परन्तु विभागाध्यक्ष का आचार्य होना भी आवश्यक है (NMC अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 Schedule II B.2 के अनुसार)।”

चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई पद नहीं है, वरिष्ठ प्रोफेसर शब्द का प्रयोग डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) देने के लिए किया जाता है। यह पद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भी मान्यता प्राप्त नहीं है और इतना ही नहीं चिकित्सा महाविद्यालयों में भी वरिष्ठ प्रोफेसर का ऐसा कोई स्वीकृत पद नहीं है, जो कि विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों से आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है, जो कहती है कि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई स्वीकृत पद नहीं है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा 20.04.2023 को उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रति अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर से आरटीआई अधिनियम के तहत दिनांक 15.04.2023 को प्राप्त सूचना की प्रति अनुलग्नक–8 पर अंकित है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने दिनांक 15.04.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा यह भी बताया कि कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है और प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं और उनकी संख्या भी बताई गई। यह जानकारी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर द्वारा भी 25.04.2023 को उपलब्ध कराई गई थी (अनुलग्नक–10)। राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा ने यह भी जानकारी दी है कि कॉलेज में वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है, प्रोफेसर के स्वीकृत पद 54 हैं (अनुलग्नक–11)। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति का अंतिम आदेश भी प्रोफेसर के पद पर ही था जो दिनांक 31.10.2022 को जारी किया गया था (अनुलग्नक–12)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है जब रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी (अनुलग्नक–13)। वर्तमान अपील दायर करने से पूर्व अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 16591/2024 प्रस्तुत की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 (अनुलग्नक–14) द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटारा करने और उक्त अपील पर 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करने का भी अनुरोध किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर परिपत्र दिनांक 21.02.2023 की शर्त संख्या 2 के आक्षेपित द्वितीय भाग "विभाग में एक ही वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जायेगी'' को अपास्त किया जाकर आदेशित किया जावे कि रोटेशन के अनुसार जो वरिष्ठता में अगला उम्मीदवार है, को राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा में एनाटोमी विभाग में

प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जावे। साथ ही आदेश दिनांक 30.10.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि डॉ. आरूषि जैन, आचार्य, एनाटोमी, मेडिकल कॉलेज, कोटा को विभागीय परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के जारी होने से पूर्व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.03.2017 की अनुपालना में प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, कोटा में आदेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा विभागाध्यक्ष के पद पर दो वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था, इनका कार्यकाल दिनांक 31.10.2024 को समाप्त हो गया है। परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगा। पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 17.03.2017 नये परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के अस्तित्व में आने के बाद प्रभावी नही रहा है, अतः अपीलार्थी विभागाध्यक्ष बनने की योग्यता नये परिपत्र के अनुसार नही रखते है। बिन्दु संख्या 2 का अभिप्राय यह है कि विभाग में यदि एक भी वरिष्ठ आचार्य पदस्थापित नही है तो दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। बिन्दु संख्या 2 से स्पष्ट है कि वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में आचार्य को विभागाध्यक्ष नही बनाया जा सकता। मेडिकल कॉलेज, कोटा में एनाटोमी विभाग में डॉ. प्रतिमा जायसवाल (प्रत्यर्थी संख्या 3) वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत है, अतः अपीलार्थी को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने हेतु जारी निर्देशानुसार ही विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के अन्तर्गत प्रथमतः वरिष्ठ आचार्य (उपलब्ध होने पर) "प्रथमतः" शैक्षणिक चिकित्सालयों में सम्बन्धित विशिष्ठता के वरिष्ठतम वरिष्ठ आचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा जो एक बार में अधिकतम 2 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष रहेंगें। यह नियुक्ति परिपत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगी। वर्तमान में कार्यरत विभागाध्यक्ष नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष तक कार्य कर सकेगें।" तत्पश्चात् बिन्दु संख्या 2 के अनुसार एक ही वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में अभिवृद्धि की जावेगी अर्थात् दिनांक 21.02.2023 के पश्चात् प्रथमतः वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने पर वरिष्ठ आचार्य ही विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाना है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने पहले के परिपत्रों के आधार पर अपनी स्थिति का दावा किया है, जबकि परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के जारी होने के बाद, पहले के परिपत्र शून्य है और इसलिए अपीलार्थी का प्रकरण नहीं बनता है। अपीलार्थी ने कहा है कि वरिष्ठ आचार्य का कोई पद विद्यमान नहीं है, जबकि यदि आचार्य पर विचार किया जाए तो वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–3 सबसे वरिष्ठ आचार्य हैं और इसलिए वह विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने की हकदार हैं। वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 को क्रम संख्या 9 पर रखा गया है, जबकि डॉ. आरुषि जैन को क्रम संख्या 22 पर रखा गया है और अपीलार्थी को क्रम संख्या 23 पर रखा गया है और इस आधार पर भी यदि प्रक्रिया नए परिपत्रों के अनुसार की जाएगी तो भी अपीलार्थी को क्रम संख्या 3 पर रखा जाएगा क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या–3 और आरुषि जैन अपीलार्थी से सबसे वरिष्ठ हैं। अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके आदेश को चुनौती दी है तथा तथ्यों को छिपाया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 21.02.2023 की शर्त संख्या–2 का द्वितीय भाग "विभाग में एक ही वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जावेगी।'' को परिपत्र के अन्य अंश से विरोधाभासी होने के आधार पर अपास्त करने और अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन से एनाटॉमी विभाग में विभागाध्यक्ष नियुक्त करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी किए गए है। परिपत्र दिनांक 22.06.2016 (अनुलग्नक–4), 28.12.2016 (अनुलग्नक–5) एवं परिपत्र दिनांक 17.03.2017 (अनुलग्नक–6) द्वारा जारी परिपत्र में संबंधित विशिष्ठता के वरिष्ठतम आचार्य/सह आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त करने और एक बार में अधिकतम दो वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार सह आचार्य को उसी दशा में विभागाध्यक्ष बनाया जायेगा जबकि विभाग में संबंधित विषय का नियमित आचार्य उपलब्ध नहीं हो। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा इस संबंध में पुराने परिपत्रों को अतिक्रमित कर एक परिपत्र दिनांक 21.02.2023 जारी किया गया जिसमें वरिष्ठ आचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 8 एवं 9 नीचे उद्धत किए जा रहे हैः–

''1.प्रथमतः शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित विशिष्ठता के वरिष्ठतम वरिष्ठ आचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा जो एक बार में अधिकतम 2 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष रहेंगे। यह नियुक्ति परिपत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगी। वर्तमान में कार्यरत विभागाध्यक्ष नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे।

2. तत्पश्चात वरिष्ठता के आधार पर क्रमानुसार वरिष्ठ अचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। विभाग में एक ही वरिष्ठ आचार्य होने की स्थिति में दूसरा वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जावेगी।

4. विभागाध्यक्ष के नियुक्ति आदेश कमानुसार (On Rotation) संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा जारी किये जायेंगे

6 पुनः क्रम (Rotation) प्रारम्भ होने पर पूर्व में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके वरिष्ठ आचार्य/आचार्य को वरिष्ठता के आधार पर विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा जब तक कि वरिष्ठता क्रम में ऐसा वरेष्ठि आचार्य/आचार्य जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है. उपलब्ध नहीं होता है।

8 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 14.02.2022 ''Teachers Eligibility Quahfications in Medical Institutions Regulations, 2022 के अनुसार Non Medical Person किसी चिकित्सा संस्थान में डीन/निदेशक/प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्त नही किया जा सकता है।

9. उपलब्ध Medical Persons में से ही वरिष्ठता अनुसार विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। वरिष्ठता क्रम में Medical Person की अनुपलब्धता की दशा में पुनः वही क्रम (Cycle of Rotation) दोहराया जाएगा। परन्तु विभागाध्यक्ष का आचार्य होना भी आवश्यक है (NMC अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 Schedule II B2 के अनुसार)।''

अपील के अनुसार निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 प्रतिमा जयसवाल जुलाई 2014 से नवम्बर 2022 तक विभागाध्यक्ष रही है, जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी विभाग एवं

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि डॉ. प्रतिमा जयसवाल इस अवधि में विभागाध्यक्ष के पद पर रही है। उसके पश्चात डॉ0 आरूषी जैन को वरिष्ठता के आधार पर दिनांक 01.11.2022 को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और उनका दो वर्ष का कार्यालय दिनांक 31.10.2024 को पूरा हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची में प्रतिमा जयसवाल सबसे वरिष्ठ है, जिसका नाम क्रम संख्या 09 पर अंकित है एवं वरिष्ठ आचार्य का पद धारित करती है। वरिष्ठता सूची में डॉ0 आरूषी जैन का वरिष्ठता क्रमांक 22 है और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर अंकित है एवं दोनों आचार्य पद धारित करते है। अपीलार्थी का निवेदन है कि डॉ0 आरूषी जैन के पश्चात वरिष्ठ कार्मिकों में उनका नाम है। अतः रोटेशन के आधार पर उन्हें विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को विभागाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाकर प्रतिमा जयसवाल को नियुक्त किया गया है जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 जुलाई 2014 से नवम्बर 2022 तक लम्बे समय से विभागाध्यक्ष रह चुकी है।

प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का यह निवेदन है कि नया परिपत्र दिनांक 21.02.2023 से लागू होता है, जो पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों के अतिक्रमण में मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में समेकित रूप से दिशा–निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों के अनुसार ही नये सिरे से वरिष्ठता के अनुसार विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। पूर्व में जो परिपत्र प्रभावी रहे है उनके आधार पर नियुक्त किए गए विभागाध्यक्षों से रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन नये सिरे से लागू होगा।

विचारणीय प्रश्न यह है कि जारी विभागीय परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के अनुसार विभागाध्यक्ष नियुक्त किए जाने में नये सिरे से रोटेशन किया जायेगा अथवा पूर्व में चल रहे रोटेशन को आगे बढ़ाया जायेगा। जब तक कि पात्र वरिष्ठत आचार्य/आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दिया जाता। जारी परिपत्र दिनांक 21.02.2023 में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व में जारी रोटेशन को पूर्णतः अमान्य कर परिपत्र जारी होने की तिथि से नये सिरे से रोटेशन से शुरू किया जायेगा। इस परिपत्र में यह भी वर्णित नहीं है कि वरिष्ठ आचार्य होने की दशा में आचार्य को विभागाध्यक्ष नहीं लगाया जायेगा जिससे की पूर्व में जारी परिपत्रों में था। परिपत्र का बिन्दु संख्या 6 से स्पष्ट है कि पुनः क्रम (Rotation) तब प्रारम्भ किया जायेगा जबकि वरिष्ठता क्रमांक में ऐसा वरिष्ठ आचार्य/आचार्य, जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं होता है। परिपत्र का बिन्दु संख्या 06 स्पष्ट करता है कि नये सिरे से रोटेशन उसी

दशा में शुरू होगा जब विभाग में ऐसा कोई वरिष्ठ आचार्य/आचार्य उपलब्ध नहीं है जिसे विभागाध्यक्ष के रूप में दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की हो। रोटेशन पुनः चक्रित उसी दशा में होगा जब संबंधित विभाग में वरिष्ठ आचार्य/आचार्य के पद पर कार्यरत चिकित्सकों ने विभागाध्यक्ष के पद पर दो वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली एवं अन्य शेष नहीं रहा है।

उक्त विवेचन के दृष्टिगत हमारा यह विनम्र मत है कि जब तक विभाग में संबंधित विशिष्ठता के सभी वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य को उनकी वरिष्ठता के अनुक्रम में रोटेशन से विभागाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है एवं दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं कर ली जाती है तब तक रोटेशन पुनः चक्रित नहीं होता। नये परिपत्र जारी होने मात्र से पुराने परिपत्रों के अधीन पदों पद पदस्थापन रहने के तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 प्रतिमा जयसवाल को राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठता क्रम में डॉ. आरूषी जैन के पश्चात अपीलार्थी वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के आधार पर उनको विभागाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किया जाना न्याय संगत होगा। जहां तक अपीलार्थी द्वारा परिपत्र दिनांक 21.02.2023 के बिन्दु संख्या 02 को चुनौती देने का विषय है। अधिकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी नीति, नियमों और निर्देशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः अधिकरण को इस बिन्दु पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री डॉ0 सुमित गुप्ता को चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में एनाटोमी विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य